(क) 1 जुलाई, 1984 को कितने तस्करों के घरों पर छापा मारा गया था ;

(ख) उनसे बरामद दस्तावेजों और माल का ब्यौरा क्या है, कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये और उन तस्करों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही चलायी गयी है ; और

(ग) प्रत्येक तस्कर से तस्करी का कितना माल बरामद हुआ और अभी इस प्रकार का कितना माल बरामद किया जाना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा)** : (क) से (ग) तस्करी-निवारण अभियान को तेज करने के अंग-रूप में वित्त मंत्रालय के राजस्व गुप्त-सूचना निदेशालय ने दिनांक 1-7-1984 को तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने की एक योजना तैयार की तथा उसे कार्यान्वित किया। इस कार्यवाही में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 115 तस्कर पकड़े गए। जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के तहत नजरबन्द किया गया। इन तस्करों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द किए गए विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले 9 व्यक्ति शामिल नहीं है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबन्द किए गए तस्करों से अभिगृहीत माल के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी नजरबन्द व्यक्ति/ व्यक्तियों-विशेष के संबंध में जानकारी चाहें तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

---

**पूर्ति मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/सतर्कता मामले**

941. **मूल चन्द डागा** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1983 को अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाही करने के लिए जिन मामलों पर विचार किया जा रहा था, उनमें 38 राजपत्रित अधिकारियों और 44 अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक मामला कब से लम्बित है ;

(ग) उपरोक्त राजपत्रित और अराजपत्रित व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति निलम्बित हैं, और वे किस सेवाओं के हैं और वे कितने समय से निलम्बित हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, हां।

| | |
|---|---|
| राजपत्रित कुल = 38 | अराजपत्रित कुल = 44 |
| पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली = 35 | पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय = 21 |
| मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय = | मुख्य लेखा नियंत्रक = 17 |
| राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता = 3 | राष्ट्रीय परीक्षण शाला = 6 |

| | पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय | मुख्य लेखा नियंत्रक | राष्ट्रीय परीक्षण शाला | पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय | मुख्य लेखा नियंत्रक | राष्ट्रीय परीक्षण शाला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | — | — | — | 1 | — | — |
| 1976 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 8 | — | — | — | — | 3 |
| 1979 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 1980 | 5 | — | — | 5 | — | — |
| 1981 | 3 | — | — | 3 | 6 | 3 |
| 1982 | 13 | — | 1 | 9 | 8 | — |
| 1983 | 4 | — | 1 | 1 | 3 | — |
| | 35 | | 3 | 21 | 17 | 6 |

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला महानिदेशालय कलकत्ता के एक राजपत्रित अधिकारी को वर्ष 1982 से निलम्बित किया गया है ।

** मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, पूर्ति विभाग के लेखा सेवा के चार अराजपत्रित अधिकारी ।

**इन चार अधिकारियों में से, दो अधिकारियों को वर्ष 1981 से और दो अधिकारियों को वर्ष 1982 से निलम्बित किया गया है । एक अधिकारी, जिसे वर्ष 1982 में निलम्बित किया गया था, उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो जाने पर दण्ड लगाया गया और फिर दि० 7-4-84 से उसे पुन : नियुक्त किया गया । एक अन्य अधिकारी जिसे वर्ष 1982 में निलम्बित किया गया था, उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो जाने पर उसे दिनांक 16-4-83 से सेवा से हटा दिया गया ।

**Class-IV SC/ST Employees Working in Bank of India Delhi/New Delhi**

942. SHRI R. N. RAKESH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of sub-staff Class-IV employees including sepoys working in Bank of India in Delhi/New Delhi ;

(b) the number of those belonging to SC/ST communities among them ;

(c) the number of persons recruited as sub-staff employees during the last three years, year-wise and also those belonging to SC/ST communities among them ;

(d) whether it is a fact that the most of the SC/ST candidates who were called by the Bank to fill up prescribed proforma application for recruitment as sub-staff, were not called for interview/test ;

(e) if so, the number of such condidates ; and